न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष— आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1292—दो/13 विरूद्ध आदेश, दिनाक 19—3—2013 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील गोपदबनास के प्रकरण कमांक 163/अ—6/10—11.

राकेश कुमार अवधिया पुत्र श्री कृष्ण कुमार अवधिया,
निवासी ग्राम कोटहा, तहसील गोपदवनास जिला सीधी म0 प्र0

..........आवेदक

विरूद्ध

1 रामरूप गुप्ता पुत्र रामसागर गुप्ता
2 श्रीमती मानवती सोनी पुत्री स्व0 रामकिशोर
3 श्रीमती देवी सोनी पुत्री स्व0 श्री रामकिशोर सोनी
निवासीगण ग्राम कोटहा, तहसील गोपदवनास जिला सीधी म0 प्र0
4 मध्य प्रदेश शासन

......अनावेदकगण

श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री पी0 के0 तिवारी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 से 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6.1.16 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 1292—दो/13 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार गोपदबनास, जिला सीधी के प्रकरण कमांक 163/अ—6/10—11 में पारित आदेश दिनांक 19—3—2013 के विरूद्ध दायर हुआ है।

2./ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । वाद भूमि खसरा नंबर 82 रकबा 0.012 हैक्टेयर, ग्राम कोटहा है जिसके मूल भूमिस्वामी जगन्नाथ सोनी थे । जगन्नाथ के दो पुत्र रामकिशोर और रामलोटन (या लोटन) थे। रामकिशोर की पुत्रिया गैर निगराकार —2 मानवती एवं गैर निगराकार 3 देवी थीं । निगराकार राकेश कुमार का कहना है कि वाद भूमि का विकय रामलोटन द्वारा दिनांक 9—12—1988 को उसको (निगराकार राकेश

कुमार को) किया गया था । इसके अतिरिक्त वाद भूमि. का विक्रय गैर निगराकार–2 मानवती एवं गैर निगराकार–3 देवी द्वारा गैर निगराकार 1 रामरूप को दिनांक 27–7–2011 को किया जाना बताया गया है।

प्रकरण में विवाद वारसाना नामांतरण होने एवं अलग–अलग वारिसों द्वारा अलग–अलग क्रेताओं को हुए विक्रय संव्यवहार होने के कारण उत्पन्न हुआ । विचारण न्यायालय तहसीलदार गोपदबनास के द्वारा समय समय पर पारित आदेशों के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष होने के उपरान्त पूर्व में वाद विषय से संबंधित दो प्रकरण क्रमांक निगरानी 3139 एवं 3140–एक / 12 राजस्व मण्डल में प्रस्तुत हुए जिनमें दिनांक 8–2–13 को अभिलेख मंगाये जाने के निर्णय हुए हैं । ये दोनों प्रकरण राजस्व मण्डल में निगराकार राकेश द्वारा गैर निगराकार 2 मानवती एवं गैर निगराकार देवी के विरूद्ध दायर किए गए थे । वर्तमान निगरानी जिस प्रकरण क्रमांक 163 / अ–6 / 10–11 के आदेश दिनांक 19–3–13 के विरूद्ध दायर हुई है, उस प्रकरण में तहसीलदार के समक्ष गैर निगराकार 1 रामरूप ने गैर निगराकार 2 एवं 3 से वाद भूमि के क्रय के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन लगाया था, जिसमें तहसीलदार ने आक्षेपित आदेश से निगराकार राकेश की आपत्ती निरस्त कर राजस्व निरीक्षक को स्थल जॉच आदि के आदेश दिये हैं ।

3/ प्रकरण में मेरे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क सुने गए । निगराकार अधिवक्ता ने प्रकरण के बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाद विषय पूर्व से राजस्व मण्डल न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण, तहसीलदार को गैर निगराकार 1 का उसी वाद भूमि से संबंधित नामांतरण आवेदन विचार में नही लेना चाहिए था । गैर निगराकार अधिवक्ता ने कहा कि गैर निगराकार 1 द्वारा नामांतरण हेतु आवेदन पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर लगाया है, अतः तहसीलदार द्वारा उसे विचार में लिया जाना ठीक था ।

4/ प्रस्तुत तर्कों एवं अभिलेखों के परिशीलन के आधार पर मैं यह पाता हूँ कि गैर निगराकार 1 को वाद भूमि पर नामांतरण का अधिकार उसी स्थिति में उद्भूत हो सकेगा जब गैर निगराकार 2 एवं 3 को उसे गैर निगराकार 1 को विक्रय करने का अधिकार हो । ऐसे में चूँकि वाद भूमि पर निगराकार का अधिकार है, या गैर निगराकार 2 एवं 3 का अधिकार है, या उनमें से किस किस का कितना कितना अधिकार है, इन बिन्दुओं पर विचार हेतु निगराकार एवं गैर निगराकार 2 एवं 3 पहले ही न्यायालय के समक्ष आ चुके हैं, अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि ऐसे पूर्व के प्रकरणों के निराकरण के पूर्व तहसीलदार को उनके समक्ष के वर्तमान प्रकरण क्रमांक 163 / अ–6 / 10–11 में विचार नहीं करना चाहिए । इसके प्रकाश में यह निगरानी स्वीकार की जाती है एवं तहसीलदार गोपदबनास को निर्देशित किया जाता है कि वाद भूमि पर निगराकार एवं गैर निगराकार 2 एवं 3 के मध्य अधिकार संबंधी पूर्व से प्रचलित प्रकरणों

के निराकरण के पूर्व, इनमें से किसी भी पक्षकार द्वारा किए जाने वाले भूमि के किसी भी अन्तरण के आधार पर प्रस्तुत होने वाले नामांतरण आदि के आवेदन को वे स्वीकार नहीं करें ।

आदेश पारित ।
पक्षकार एवं तहसीलदार गोपदबनास सूचित हों ।
प्रकरण समाप्त ।
अभिलेख वापस हो ।
दा0द0 हो ।

6.1.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर